

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर०एम० वाद सं०-18/2021-22

14.09.21
अभिलेख उपस्थापित :- अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-468(ii) दिनांक-13/08/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

1. हल्का कर्मचारी के अनुशंसा अनुसार आवेदक राम सिंगार उराँव पिता-स्व० लाल उराँव के द्वारा यह प्रमाण नहीं दिया गया है कि वह अपने पिता का एक मात्र पुत्र है, उनके कोई और हिस्सेदार नहीं है। अतः विक्री अनुमति की अनुशंसा नहीं किया जा सकता है।


2. अंचल निरीक्षक के अनुशंसा अनुसार रा०उप०नि० के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदित भूमि की बिक्री अनुमति हेतु अनुशंसा नहीं किया जा सकता है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुण्डू	बुण्डू/28	845	4328	38 डी० चौहद्दी उ०-प्लॉट नं० 4327। द०-प्लॉट नं० 4330। पू०-प्लॉट नं० 4331। प०-प्लॉट नं० रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।